रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 211] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26, 1970/पौष 5, 1892

No. 211] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26, 1970/PAUSA 5, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 26th December 1970

SUBJECT.—*U.S. AID programme—Chartering of Ocean Vessels and embargo on certain vessels for transport of AID financed goods.*

No. 185-ITC(PN)/70.—It has been decided to make the following additions/deletitions in the list of vessels declared as ineligible to carry AID financed goods attached to the Ministry of Commerce Public Notice No. 120-ITC(PN)/68, dated the 26th June, 1968 as amended by Public Notices Nos. 185-ITC(PN)/68, dated 3rd September, 1968, 277-ITC(PN)/68, dated 26th December, 1968, 151-ITC(PN)/69, dated 12th September, 1969, 194-ITC(PN)/69, dated 3rd December, 1969, 172-ITC(PN)/70, dated 28th November, 1970 and 181-ITC(PN)/70, dated the 17th December, 1970.

Additions:

(i) CYPRIOT
AGHIOS ERMOLAOS
AGHIOS NICOLAOS

GEORGIOST
IRIS
KIMON
MASTER GEORGE
PANTAZIS CAIAS
SAVVAS
SILVER HOPE
ZAIRA

Deletion:

(1) CYPRIOT
ARETI—(Previous trips to Cuba Lebanese)

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1970

विषय: संयुक्त राज्य सहायता कार्यक्रम—महासागर जलयानों को अधिकार-पत्र देना तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अभिकरण वित्तयुक्त माल के परिवहन के लिए कतिपय जलयानों पर निषेध ।

सं० 185 आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.— सार्वजनिक सूचनाएं संख्या 185—आई टी सी (पी एन)।68, दिनांक 3—9—1968, 277—आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 26—12—68, 151—आई टी सी (पी एन)/69, दिनांक 12—9—1969, 194—आई टी सी (पी एन)/69 दिनांक 3—12—1969, 172—आई टी सी (पी एन)/70, दिनांक 28—11—1970 तथा 181—आई टी सी (पी एन)।70 दिनांक 17—12—1970 के अनुसार, संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 120—आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 26—6—1968 से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अभिकरण वित्तयुक्त माल का परिवहन करने के लिए अपात्र घोषित किए गए जलयानों की सूची में निम्नलिखित संकलन/विलोपन करने का निश्चय किया गया है :—

संकलन :

(1) साइप्रियट:

एथियस अमोलास
एथियस निकौलास
जियोरगायस्ट
आइरिस
किमोन
मास्टर जार्ज

पैन्टासिज कैयास

सेव्वास

सिल्वर होप

जाइरा

विलोपन :

(1) साइप्रियट :

अरेनि (पिछली यात्राएं क्यूबा लीबानीज को)

SUBJECT.—*Licensing cnditions governing imports under the U.S. Exim V Line of Credit.*

No. 186-ITC(PN)/70.—Attention of importers in invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 81-ITC(PN)/70, dated the 1st June, 1970, extending the time limit for shipments/payments against licences issued under EXIM V Credit from 31st May 1970 to 31st December 1970.

2. It has now been decided to extend the terminal date for shipments/payments upto 31st January 1971 for licences issued under the U.S. Exim V Credit. Import licences issued under this Credit which are valid on the date of issue of this Public Notice, will automatically becomc valid for shipment/payments upto 31st January 1971. For this purpose the licensees will not be required to obtain formal endorsement on their licences. In respect of these licences no grace period will be available.

3. Public Notice No. 40-ITC(PN)/70, dated 3rd March 1970 and No. 81-ITC-(PN)/70, dated 1st June 1970 may be deemed to have been amended accordingly.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय : यू० एम० एक्जिम पांच लाइन क्रेडिट के अन्तर्गत आयातों के सम्बन्ध में लागू होने वाली लाइसेंस शर्तें ।

सं० 186—आई० टी० सी० (पी० एम०)/70.— आयातकों का ध्यान विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 81—आई टी सी (पी एन)/70, दिनांक 1 जून, 1970 की ओर आकृष्ट किया जाता है जो एक्जिम पांच क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंसों की पौतलदानों/भुगतानों की अवधि सीमा को 31—5—70 से बढ़ाकर 31—12—70 तक करने से सम्बन्धित थी ।

2. यू० एम० एक्जिम पांच क्रेडिट के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंसों के लिए पौतलदानों/भुगतानों की अवधि तिथि को 31—1—71 तक बढ़ाने का निश्चय किया गया है । इस क्रेडिट के अन्तर्गत जो लाइसेंस जारी किए गए हैं और वे इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने तक वैध है, तो वे स्वतः पौतलदानों/भुगतानों के लिए 31—1—1971 तक वैध हैं । इस कार्य के लिए, लाइसेंसधारियों को अपने लाइसेंसों पर औपचारिक पृष्ठांकन कराने की जरूरत नहीं होगी । इन लाइसेंसों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अनुकंम्पा अवधि उपलब्ध नहीं होगी ।

3. तदनुसार, सार्वजनिक सूचना संख्या 40—आई टी सी (पी एन)/70, दिनांक 3-3-70 तथा संख्या 81-आई टी सी (पी एन)/70, दिनांक 1 जून 1970 को संशोधित किया गया समझा जाए ।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970